संख्या- 40/2017/1997/चौदह-4-2017-48(बजट)/2017

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 09 अक्टूबर,2017**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- "प्रोजेक्ट टाइगर" योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए अवमुक्त/रिवैलीडेटेड केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-132/36-टी-15(प्रो0टा0), दिनांक 02.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-60- के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-"प्रोजेक्ट टाइगर" के अंतर्गत पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए अवमुक्त/रिवैलीडेटेड केन्द्रीय सहायता के उपयोग हेतु रू0 523.96/- लाख (पांच करोड तेईस लाख छियानबे हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या-60-	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0128-प्रोजेक्ट टाइगर-	
02-मजदूरी	151.43
08-कार्यालय व्यय	2.00
09-विद्युत देय	1.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	1.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	21.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.75
योग:-0128	**184.18**

2/-

upasandesh.up.nic.in

0129-प्रोजेक्ट टाइगर (सी0सी0एल0 प्रणाली)-	
29-अनुरक्षण	95.95
42-अन्य व्यय	82.83
योग:-0129	**178.78**
योग:-राजस्व लेखा	**362.96**
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0101-प्रोजेक्ट टाइगर (सी0सी0एल0 प्रणाली)-	
24-वृहत निर्माण कार्य	151.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10.00
योग-पूंजी लेखा	**161.00**
कुल योग	**523.96**

(रू0 पांच करोड तेईस लाख छियानबे हजार मात्र)

1. **उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अंतर्गत नियमावलियों में अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**
2. **इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा मे इस धनराशि का उपयोग नयीं मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।**
3. **कियी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त-समिति का अनुमोदन प्राप्त नही हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।**
4. **भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।**
5. **भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले आदि का निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।**
6. **भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगें तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो जाय।**

shasanadesh.up.nic.in

7. व्यय को मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्त पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
8. अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जानी की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहें।
9. स्वीकृति धनराशि का भारत सरकार के पत्र संख्या-4-1(45)/2017-पी0टी0 दिनांक 13.07.2017 में उल्लिखित निर्देशों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित कार्यमदों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।
10. स्वीकृति धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 02.08.2017 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
11. उक्त के अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व नियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण किया जायेगा।
12. योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाये एवं समस्त क्रय सम्बन्धी कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
13. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है। अत: इसका अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(संजय सिंह)
सचिव,

संख्या- 1997(1)/चौदह-4-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महालेखाकार द्वितीय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8. नियोजन अनुभाग-3
9. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
सचिव,

shasanadesh.up.nic.in